प्रेस विज्ञप्ति

02.01.2025

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), पटना ज़ोनल कार्यालय ने **कोटक महिंद्रा बैंक धोखाधड़ी मामले** में धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के तहत 1.66 करोड़ रुपये (लगभग) मूल्य की चल और अचल संपत्तियों को अनंतिम रूप से कुर्क किया है।

ईडी ने गांधी मैदान पुलिस स्टेशन पटना द्वारा दर्ज एफआईआर और आईपीसी, 1860 की विभिन्न धाराओं के तहत बाद में आरोप पत्र के आधार पर जांच शुरू की, जिसमें आरोप लगाया गया कि भूमि अधिग्रहण के लिए सक्षम प्राधिकारी (सीएएलए) सह जिला भूमि अधिग्रहण अधिकारी (डीएलएओ) के बैंक खातों से कुल 31.93 करोड़ रुपये के धोखाधड़ी वाले लेनदेन को अंजाम दिया गया और विभिन्न फर्जी/डमी संस्थाओं के बैंक खातों का उपयोग करके धन की हेराफेरी की गई, जिससे सरकारी खजाने को भारी नुकसान हुआ।

ईडी की जांच में पता चला है कि मन्नू सिंह और मेसर्स रेड रोज पीएल (मालिक- हेमांशु किशोरभाई त्रिवेदी), (इस मामले में दोनों आरोपी) बैंक अधिकारियों के साथ मिलीभगत करके कोटक महिंद्रा बैंक, पटना में स्थित सीएएलए सह डीएलएओ के बैंक खातों से जनता के पैसे की हेराफेरी करने और इसे विभिन्न फर्जी/डमी संस्थाओं/व्यक्तियों में डालने में सक्रिय रूप से शामिल थे। सीएएलए सह डीएलएओ पटना और पीडी एनएचएआई पीआईयू के खाते से क्रमशः 3.05 करोड़ रुपये (लगभग) और 8.77 करोड़ रुपये (लगभग) की धनराशि मन्नू सिंह और मेसर्स रेड रोज पीएल से संबंधित बैंक खातों में प्राप्त हुई थी। इस प्रकार प्राप्त धनराशि का कुछ हिस्सा अपने पास रखने/खपत करने के बाद, पर्याप्त धनराशि को असंबंधित पक्षों के विभिन्न बैंक खातों में स्थानांतरित कर दिया गया या उनके द्वारा नकद निकाल लिया गया।

ईडी की मनी ट्रेल जांच में उन बैंक खातों की पहचान हुई, जिनमें अपराध की आय (पीओसी) प्राप्त हुई थी और दो अचल संपत्तियां (कृषि भूमि) भी मिली, जिन्हें पीओसी से खरीदा गया था। तदनुसार, बैंक खातों (मन्नू सिंह और अन्य लाभार्थियों के नाम पर) में 1.18 करोड़ रुपये (लगभग) की धनराशि और 48.80 लाख रुपये (लगभग) की 2 अचल संपत्तियां (मन्नू सिंह और उनकी पत्नी रीमा सिंह के नाम पर भदोही, यूपी में) को अस्थायी रूप से जब्त कर लिया गया है।

अब तक, ईडी ने 18.07.2023, 17.08.2023 और 02.01.2024 को पटना, नई दिल्ली और भदोही (यूपी) में 06 स्थानों पर तलाशी ली है और 1.38 करोड़ रुपये (लगभग) के सोने और हीरे के आभूषण और नकदी जब्त की है और मन्नू सिंह और हेमांशु किशोरभाई त्रिवेदी सहित 05 आरोपियों को गिरफ्तार किया है जो वर्तमान में न्यायिक हिरासत में हैं। ईडी ने इस मामले में माननीय विशेष न्यायालय (पीएमएलए) के समक्ष 2 अभियोजन शिकायतें दर्ज की हैं, जिस पर माननीय न्यायालय ने संज्ञान लिया है।

आगे की जांच जारी है।